सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 984 राँची, सोमवार, 22 अक्टूबर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

15 अक्टूबर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-154/2017-2570 (HRMS)-- श्रीमती श्वेता वेद, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सतगावाँ, कोडरमा के विरूद्ध उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-518/स्था०, दिनांक 9 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर कराते हुए इन्हें निलंबित एवं विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी है। प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये-

आरोप सं०-1-बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहना- आप प्रायः बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहती हैं। दिनांक 18 मार्च, 2017, दिनांक 24 मार्च, 2017, दिनांक 19 जून, 2017, दिनांक 17 जुलाई, 2017 एवं दिनांक 5 सितम्बर, 2017 को खोज किये जाने पर आप मुख्यालय से अनुपस्थित पायी गयी । इस संबंध में आपको कारण पृच्छा भी की गयी है । आपका यह कृत्य कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है, जो सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रतिकूल है ।

आरोप सं०-2-सरकारी कार्य में लापरवाही बरतना-प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा के क्रियान्वयन में आपके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। कार्यों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिस कारण सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित हो रहा है और विकास कार्य धीमी हो गयी है। इस संबंध में उप विकास आयुक्त, कोडरमा के ज्ञापांक-584/अभि०, दिनांक 26 अप्रैल, 2017 एवं ज्ञापांक-1006/गो०, दिनांक 5 सितम्बर, 2017 द्वारा योजनाओं में प्रगति लाने हेतु निदेशित भी किया गया है, किन्तु आपके क्रियाकलाप में कोई सुधार नहीं हुआ है। आपका यह कृत्य कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है, जो सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं०-12173, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा श्रीमती वेद को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया गया ।

श्रीमती वेद द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया है, जिसके आलोक में दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के पूर्वाह्न से इनका योगदान स्वीकृत किया गया।

प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों के प्रसंग में विभागीय पत्रांक-11179, दिनांक 7 नवम्बर, 2017 द्वारा माँगे गये स्पष्टीकरण के आलोक में इन्होंने पत्र, दिनांक 1 फरवरी, 2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

श्रीमती वेद के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1702, दिनांक 7 फरवरी, 2018 द्वारा उपायुक्त, कोडरमा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-251/स्था०, दिनांक 5 जुलाई, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है-

"श्रीमती वेद के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद प्रतीत होता है, परन्तु श्रीमती वेद का जिला स्तरीय उच्चाधिकारियों के साथ समन्वय का अभाव परिलक्षित होता है। श्रीमती वेद को सचेष्ट रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए था, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया है, प्रतीत होता है।" श्रीमती वेद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, कोडरमा के मंतव्य के समीक्षोपरान्त, श्रीमती श्वेता वेद, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सतगावाँ, कोडरमा, सम्प्रति- निलंबित को निलंबन से मुक्त करते हुए "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। साथ ही, निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई भुगतान देय नहीं होगा, परन्तु यह अवधि सेवा में टूट नहीं मानी जायेगी।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SHWETA VED 110081165683	श्रीमती श्वेता वेद, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सतगावाँ, कोडरमा सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त करते हुए "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 984 -- 50